BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 15 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रेमदत्त शर्मा पुत्र रामगोपाल निवासी मुरारीनगर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-1994 में एक व्यक्ति धनसिंह की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 11.10.1994 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 500/1994 धारा 302,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा आरोप पत्र दिनांक 26.12.1994 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 15.01.2025 को न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार सचान (मा0 न्यायालय एडीजे खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पप्पू उर्फ प्रेमदत्त शर्मा को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर